संदर्भ सं: एफएफवी-2020-21-000212 दिनांक: 02.11.2022

परिपत्र/परामर्श

अल्प प्राथमिक खाद्य कृषि उत्पादों के निरीक्षण एवं क्वारंटाइन के प्रशासन विभाग के समायोजन की अधिसूचना

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) द्वारा दिनांक 28.10.2022 के पत्र के माध्यम अल्प प्राथमिक खाद्य कृषि उत्पादों के निरीक्षण एवंक्वारंटाइन के प्रशासन विभाग के समायोजन के बारे में सूचितकिया गया।

जीएसीसी का एनिमल एंड प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट अब क्वारंटाइन पहुंच, विदेशी उद्यमों के पंजीकरण और प्राथमिक खाद्य कृषि उत्पादों जैसे ताजी सब्जियां,पौध सीज़न, खाद्य अनाज (चावल रहित),सूखे बींस, ऑयल प्लांट तथा पशु या पौधे की उत्पत्ति की चीनी पारंपरिक दवाएं के अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्राथमिक खाद्य कृषि उत्पादों को अब चीन आयात खाद्य उद्यम पंजीकरण प्रणाली (सीआईएफईआर) के माध्यम से पंजीकृत नहीं किया जाएगा। संबंधित उद्यमों की जानकारी और आवेदन सामग्री निर्यात करने वाले देशों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीएसीसी के एनिमल एंड प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को प्रस्तुत की जाएगी (अर्थात् चीन के जनवादी गणराज्य में भारत का दूतावास या भारत के जनवादी गणराज्य का दूतावास)।

यह भी सूचित किया जाता है कि सीआईएफईआर प्रणाली में पहले से पंजीकृत उपर्युक्त खाद्य कृषि उत्पादों के विनिर्माताओं की योग्यता वैध रहेगी। पंजीकृत उद्यमों की जानकारी जीएसीसी की वेबसाइट (**http://dzs.customs.gove.cn**) के तहत एनिमल एंड प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट की उप-साइट पर उपलब्ध है।

इच्छुक निर्यातकों से अनुरोध है कि वे चीन को उपर्युक्त उत्पादों के निर्यात की आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यू.के.वत्स

महाप्रबंधक